



कार्यालय : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण-संस्थान, मथुरा

पता : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, टाउनशिप गेट के सामने, बाद, मथुरा (उ०प्र०)-281006

ईमेल - diet.mathura@gmail.com, वेबसाइट - www.dietmathura.org

पत्रांक: डाइट/डी.एल.एड./इण्टर्नशिप/ 1276-82 / 2025-26 दिनांक : 30/08/2025

1. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक,
निजी डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थान,
जनपद-मथुरा
2. कक्षाध्यापक/प्रवक्ता,
डी०एल०एड० बैच-2023
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा

डी०एल०एड० प्रशिक्षण बैच 2023 तृतीय सेमेस्टर (अवशेष) में प्रशिक्षणरत अर्ह/नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं का इण्टर्नशिप (क्रियात्मक प्रशिक्षण) के सम्बन्ध में।

जनपद-मथुरा के राजकीय एवं निजी डी०एल०एड० संस्थानों में डी०एल०एड० बैच 2023 तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को एक माह के इण्टर्नशिप हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या पत्र संख्या : डाइट/इण्टर्नशिप/49-55/2025-26 दिनांक : 05.04.2025 के द्वारा परिषदीय विद्यालयों में भेजा गया था। जनपद के अधिकांश संस्थानों द्वारा उनके संस्थान के डी०एल०एड० बैच 2023 तृतीय सेमेस्टर के अवशेष प्रशिक्षुओं को इण्टर्नशिप पर भेजे जाने हेतु किए गए अनुरोध तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उनके पत्र संख्या परीक्षा/1862-64/2025-26 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा छात्रहित में अर्ह एवं नियमित प्रशिक्षुओं को इण्टर्नशिप पर भेजे जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

उपरोक्त प्रदत्त अनुमति के क्रम में जनपद मथुरा के डी०एल०एड० संस्थानों में प्रशिक्षणरत अर्ह एवं नियमित प्रशिक्षुओं को इस शर्त के अधीन अनुमति प्रदान की जा रही है कि आपके संस्थान में प्रशिक्षणरत अर्ह एवं नियमित प्रशिक्षुओं को ही इण्टर्नशिप पर भेजे जाने की कार्यवाही की जाए, किसी भी स्थिति में अनर्ह अभ्यर्थी को इण्टर्नशिप पर न भेजा जाए, यदि कोई विसंगत तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल प्रभाव से उसका प्रशिक्षण समाप्त माना जाएगा।

अतः सम्बन्धित संस्थान निम्ननिर्देशानुसार प्रशिक्षणरत अर्ह एवं नियमित प्रशिक्षुओं को इण्टर्नशिप पर भेजे जाने की कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें-

प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यालय विकल्प पूरित करना -

1. प्रत्येक प्रशिक्षु बेवसाइट <https://dietmathura.in/validate-trainee> पर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन किए जाने हेतु डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थान का चयन करेंगे, तदोपरान्त वांछित अनिवार्य सूचना पूरित करते हुए लॉगिन करेंगे।
2. प्रशिक्षु इण्टर्नशिप प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों के विकल्प को वरीयता क्रम में भरेंगे। समस्त विद्यालय विकल्प भिन्न-भिन्न होंगे, किसी भी विद्यालय की पुनरावृत्ति स्वीकार्य नहीं है। इण्टर्नशिप प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों के विकल्प ऑनलाइन पूरित किए जाने हेतु परिचालन निर्देश बेवसाइट पर उपलब्ध है।
3. प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यालय विकल्प पूरित करने तथा प्रशिक्षण संस्थान स्तर से अर्ह प्रशिक्षुओं के विद्यालय विकल्प को कॉलेज लॉगिन से फॉरवर्ड किए जाने हेतु समय सारिणी निम्नवत् है -

क्र० सं०	विवरण	अवधि	कार्यवाही
1	विद्यालय विकल्प पत्र पूरित करना	दिनांक : 01 से 02 सितम्बर, 2025 तक सायं 04:00 बजे तक	प्रशिक्षु द्वारा
2	अर्ह एवं नियमित प्रशिक्षु द्वारा पूरित विद्यालय विकल्प पत्र को फॉरवर्ड करना	दिनांक : 01 से 02 सितम्बर, 2025 तक सायं 05:00 बजे तक	सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान



कार्यालय : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण-संस्थान, मथुरा

पता : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, टाउनशिप गेट के सामने, बाद, मथुरा (उ०प्र०)-281006

ईमेल - diet.mathura@gmail.com, वेबसाइट - www.dietmathura.org

अतः सम्बन्धित संस्थान, अर्ह प्रशिक्षुओं के विद्यालयों के विकल्प को फॉरवर्ड करना तथा प्रशिक्षु विद्यालय विकल्प पूरित किए जाने की कार्यवाही निधारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रशिक्षणरत अर्ह प्रशिक्षुओं का इण्टर्नशिप (क्रियात्मक प्रशिक्षण) समय से प्रारम्भ होकर समयान्तर्गत पूर्ण कराया जा सके। यदि कोई अर्ह प्रशिक्षु इण्टर्नशिप प्रशिक्षण से वंचित रहता तो समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षु का स्वयं का तथा प्रशिक्षण संस्थान का होगा।

नोट : किसी भी अनर्ह एवं अनियमित प्रशिक्षुओं को कदापि इण्टर्नशिप हेतु प्रतिभाग नहीं कराया जाएं।

डॉ०(मुकेश चन्द्र)

उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण-संस्थान,
मथुरा

पृ०सं० : डाइट/डी.एल.एड./इण्टर्नशिप/1276-82 /2025-26 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, मथुरा।
5. सम्बन्धित प्रशिक्षु डी०एल०एड० बैच-2023 तृतीय सेमेस्टर (अर्ह एवं नियमित) को (सम्बन्धित संस्थान के माध्यम से) अनुपालनार्थ।

उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण-संस्थान,
मथुरा